

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 2297 / 14-1 अमेठी दिनांक 05 अप्रैल 2021
सेवा में,

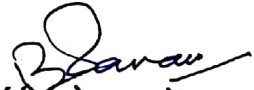
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय- जनपद अमेठी के अन्तर्गत लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग- 731(पुराना एन.एच. संख्या-56) के किमी0 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य जिसमें बाधक 558 वृक्ष तथा 0.6689 हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आन लाइन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Pipeline/52656/2020**
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद अमेठी के अन्तर्गत लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-731(पुराना एन.एच. संख्या-56) के किमी0 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी प्रस्तावित कार्य, जिसमें बाधक 558 वृक्ष है तथा 0.6689 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त प्रभावित 0.6689 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 21.01.2021 को प्राप्त हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत संरक्षित पटरी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विषयगत प्रस्ताव का भाग-2 पूर्ण कर एवं चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करते हुए संस्तुति सहित चार प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

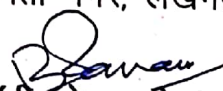

(बी0के0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग।

पत्रांक 2297/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के कम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।


(बी0के0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग।